

प्रश्न सं. [ क. 4216 ]

गोर्यालिय नगरपालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)  
गजांक-३२१ लोक निवास / 2024  
प्रति. नीमच, मुख्यमंत्री १६/६/२४

राजना पत्र

ग. अनुराग ५७८ रांस  
बंगला नं. ४७, नियर दशपुर एवराप्रेरा,  
नीमच जिला नीमच  
ई.मेल - [dineshgoyalnmh@gmail.com](mailto:dineshgoyalnmh@gmail.com)  
मो.नं. 9425106370

विषय:-

मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत नीमचसिटी सांवरिया नाला मंदिर के पास नाला सफाई एवं सोन्दर्यीकरण कार्य।

संदर्भ:-

कार्यादेश क्रमांक 11 दिनांक 06.04.2023।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है आपको विषयांकित कार्य करने हेतु संदर्भित कार्यादेश जारी किया गया था। जिसके अनुकम्म में आपके द्वारा नाले की सफाई कार्य किया गया तथा ब्रिज व रिट्टिंग वाल बनाने हेतु नाले के बीच में मिट्टी डालकर नाले को बंद किया गया है। आपके द्वारा यह कार्य ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ कर बीच में ही अंधूरा छोड़ दिया गया है। जिसके संबंध में निकाय के यंत्रियों द्वारा आपको वार-वार कार्य वर्षाक्रतु से पूर्व करने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आपके द्वारा लंबे समय से कार्य वंद कर रखा है। वर्तमान में वर्षा क्रतु शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। नाले में मिट्टी के ढेर से पानी का यहाव अवरुद्ध होने की पूर्ण संभावना है। जिसके कारण समीप की निचली बस्तीयों में भी जल भराव की स्थिति निर्मित हो सकती है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल तीन दिवस में नाले के बीच में डाली गई मिट्टी हटावे, जिससे नाले में वहने वाले पानी अवरुद्ध ना हो। जलभराव की स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी समर्त जवाबदारी आपकी होगी तथा आपके विलक्ष नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सूचित होवे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
स्थानिक परिषद, नीमच

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

